न्यायालयः प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।
उपस्थित : हर्षित सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।
नियमित जमानत आवेदन पत्र संख्या–628 / 2026

शशि सिंह उर्फ गुड्डू कुमार बनाम् बिहार सरकार

भगवानपुर थाना कांड संख्या–157 / 2026

अंतर्गत धारा–25(1-B)a, 26 आर्म्स एक्ट।

Web Copy not Official

05-06-2026 भगवानपुर थाना कांड संख्या–157 / 2026, धारा–25(1-B)a, 26 आर्म्स एक्ट में अभिरक्षाधीन आवेदक **शशि सिंह उर्फ गुड्डू कुमार उम्र–25 वर्ष पेसर–राम भगत** साकिन–पोझा, थाना–गोरौल, जिला–वैशाली, जो दिनांक–26.04.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है, के तरफ से धारा–483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत दाखिल नियमित जमानत आवेदन पत्र पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता **श्री रामाकांत भारती** तथा राज्य के तरफ से विद्वान लोक अभियोजक **श्री श्यामबाबू राय** को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।

जमानत आवेदन की कण्डिका 02 में उल्लिखित है कि आवेदक के तरफ से पूर्व में अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन इस न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है।

संक्षेप में अभियोजन का कथानक यह है कि, दिनांक–25.04.2026 को समय 22.15 बजे सूचक सशस्त्र बल के साथ पुलिस वाहन से रात्रि गश्ती / निगरानी / छापेमारी हेतु सशस्त्र बल पुलिस वाहन से प्रस्थान किये। गश्ती के क्रम में दिनांक–26.04.2026 को समय करीब 00.15 बजे विश्वसनीय सूत्रों से उसे सूचना प्राप्त हुआ कि भगवानपुर थाना अंतर्गत ग्राम प्रतापटाण्ड निवासी दीपक सिंह के घर के पास एक व्यक्ति आर्म्स लहरा रहा है। इस सूचना से वरीय पदाधिकारी को सूचित करते हुए समय 01.05 बजे दीपक सिंह के घर के पास पहुंचा तो एक व्यक्ति अपना मोटरसाईकिल गाड़ी को चालू कर भागने का प्रयास किया। जिसे संदेह के आधार पर साथ के सशस्त्र बल के सहयोग से पकड़ा गया। पकड़ाये व्यक्ति का नाम पूछने पर अपना नाम शशि सिंह उर्फ गुड्डू कुमार बताया एवं काफी घबराहट जैसा कर रहा था। उसके बाद तलाशी नियमों का पालन करते हुए पकड़ाये व्यक्ति का बदन का तलाशी लिया गया तो पहने उजला रंग का एवं उजला रंग का पहने पैंट के कमर में खोसा हुआ एक पिस्टल जिसमें लगा खाली मैंगजीन एवं एक रेडमी कम्पनी का मोबाईल जिसमें जिओ कम्पनी का सिम लगा हुआ तथा एक काला रंग का पल्सर मोटरसाईकिल बरामद हुआ। बरामद आर्म्स, मोटरसाईकिल एवं मोबाईल का विधिवत जप्ती सूची तैयार कर उसे जप्त किया गया एवं पकड़ाये व्यक्ति को दोष बताते हुए उसे विधिवत गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तारी की सूचना इनके परिजन को दिया गया।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता **श्री रामाकांत भारती** का कथन है कि, आवेदक दिनांक–26.04.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। आवेदक निर्दोष है तथा उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। उसे मिथ्या रूप से इस मामला में फंसाया गया है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिसहा नहीं है। अभियोजन कथानक पूर्णतः मनगढंन्त है। विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि

न्यायालयः प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

उपस्थित : हर्षित सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

नियमित जमानत आवेदन पत्र संख्या–628/2026

शशि सिंह उर्फ गुड्डू कुमार बनाम् बिहार सरकार

लगातार

05.06.2026 जप्त की गई मोटरसाईकिल और मोबाईल आवेदक का है। निवेदित है, आवेदक को नियमित जमानत पर मुक्त किया जाय।

विद्वान लोक अभियोजक आवेदक के नियमित जमानत आवेदन पत्र का विरोध करते हैं।

उभय पक्षों को सुना। जमानत आवेदन, कांड दैनिकी एवं अभिलेख के साथ संलग्न कागजातों एवं कांड दैनिकी का अवलोकन किया जिससे विदित होता है कि आवेदक प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त है जिसे घटनास्थल से गिरफ्तार किया गया है और उसके पहने पैंट के कमर में खोसा हुआ एक पिस्टल जिसमें लगा खाली मैंगजीन, एक काला रंग का पल्सर मोटरसाईकिल एवं एक रेडमी कम्पनी का मोबाईल जिसमें जिओ कम्पनी का सिम लगा हुआ बरामद हुआ है जिसका समर्थन कांड दैनिकी की कंडिका 05 एवं 06 में अंकित बयान में साक्षियों द्वारा किया गया है। जमानत आवेदन की कंडिका 03 से विदित होता है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक दिनांक–26.04.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है।

अतः मामले के तथ्यों, उभय पक्षों के तर्कों तथा वाद की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये आवेदक को आरोप गठन के पश्चात् नियमित जमानत की सुविधा प्रदान करना न्यायसंगत प्रतीत होता है। अतः उपरोक्त नामित आवेदक को आरोप गठन के पश्चात् मो0 10,000/– की समान राशि के दो प्रतिभूगण द्वारा जमानत बंध पत्र दाखिल करने पर विद्वान विचारण न्यायालय के संतुष्टि पर मुक्त करने का आदेश इस शर्त पर दिया जाता है कि–

1. आवेदक किभी भी प्रकार के ऐसे अपराध में शामिल नहीं होगा और हिरासत से रिहा होने के बाद एक वर्ष की अवधि तक प्रत्येक माह के पहले सप्ताह में संबंधित थाना के थानाध्यक्ष को अपने सदाचरण के संबंध में उपस्थित होकर रिपोर्ट करेगा।

2. आवेदक किसी भी तरह से मुकदमा के निपटारा में देरी नहीं करेगा और आरोप गठन होने और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा–351 के तहत बयान होने के समय वह शारीरिक रूप से उपस्थित रहेगा।

उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी आवेदक द्वारा उल्लंघन होने की स्थिति में संबंधित विचारण न्यायालय आवेदक का जमानत रद्द करने और आवेदक को कारागार भेजने के लिए स्वतंत्र होगा।

आवेदक का जमानत स्वीकार करने से पहले विद्वान विचारण न्यायालय से अनुरोध है कि उक्त आदेश की एक प्रति संबंधित थाना के थानाध्यक्ष को भेजे और उन्हें निर्देश दिया जाए

Web Copy not Official

न्यायालयः प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

उपस्थित : हर्षित सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

नियमित जमानत आवेदन पत्र संख्या–628 / 2026

शशि सिंह उर्फ गुड्डू कुमार बनाम् बिहार सरकार

लगातार

05.06.2026 **कि यदि आवेदक उपरोक्त शर्तों में निर्दिष्ट किसी भी महीने में उनके समक्ष उपस्थित नहीं होता है तो संबंधित थानाध्यक्ष विद्वान विचारण न्यायालय को सूचित करें।**

तथापि विद्वान न्यायालय आरोप गठन के पश्चात् बन्ध–पत्र स्वीकार करेगा।

लेखापित

(हर्षित सिंह)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
वैशाली, हाजीपुर।

Web Copy not Official